

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

2016/00075

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जज अदालत

नियम

विजयसिंह



बनाम दलपतसिंह

किस्म मुकदमा

212 R.T.A.

नं.

138 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु
17-5-16	<p>प्राणी श्री ओर से यह प्रार्थना पत्र कमील श्री मं परलाल विरगोई ने विप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत द्वारा 212 R.T.A के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्ट्रार 23 हो विप्रार्थी से नौवीस जारी होकर के पत्रावली दिनांक 2-6-16 से पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा </p>	
2-6-16	<p>पत्रावली माध्य आपके द्वार पेश हुई। प्राणी उपरिपत्र प्राणी को युक्त गया। प्राणीने अपने प्रार्थना पत्र में जाहीर किया है कि रबन खसरा नं. 354/196 रकबा 25 बीगा जिसके पुराने खसरा नं. 196/4 सरहद मौजा गोल रोटा में स्थित है। उक्त भूमी पूर्व में प्राणी एक विप्रार्थी सं. 1, 2 एवं प्रतिकारी सं. 1, 2 एवं प्रतिकारी सं. 3, 4 के पिता केजीलाल के नाना राजूजी की स्वामेदारी एवं खुद करत ही थी जिनके एक मध्य पुत्र सहजी द्वारनाजी थे जिनके कोई जायदाद पुत्र न होने के कारण उक्त भूमी प्राणी के माता गंधादेवी के नाम रजिस्ट्री करवाई गई बाकि माता का देहाल होने पर उक्त भूमी दलपतसिंहने अपने नाम करा है। वादग्रस्त भूमी पर प्राणी व विप्रार्थी सं. 2 नाम की स्वामी घोषणाई गई। जहां बाल बच्चों सहित निवास है। उक्त वादग्रस्त भूमी पर मात्र दलपतसिंह का कोई हक हिस्सा व स्वत्व किसी भी रूप में नहीं है। विप्रार्थी सं. 1 के नाम पूरी जायदाद अकेले के नाम अंशित होने का फायदा उठाकर हस्ता-नामकरण करने पर आया है। जबकि अविभाजित संयुक्त हिस्से स्वामतन ही अकेले किसी के नाम अंशित होने से उसे अ-भ वादिसान से उसे कोई हक या अधिकार अलग से उत्पन्न नहीं होते हैं जिससे प्राणी का प्रथम हुतरमा प्रकरण है, जिस हेतु प्राणी के द्वारा वाद पत्र पेश करा दिया है जिसमें प्राणी को सफल होने की पूर्ण सम्भावना है।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा </p>	

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

अवलोकन पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध है कि 25 वीं वार सरकस मॉजा गोल सोटा के सम्बन्ध में प्राप्ति का प्रार्थना पत्र -थापनित होने से 24 वीं वार प्राप्ति नं. 356/196 24 वीं 25 वीं वार के मॉजा व सोटा की थपारिसानि के आदेश वार के निरन्तरण पर दिखे जाते हैं।

पत्रावली केसल सुमार हीर के सार्विक सफार हो।

आदेश सुनाया गया।

2/6/16
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2/6/16
कै. प्र. जे. वी.

